No. PCH-HA (3) 2019-II-24763
Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj.

From:

Anirudh Singh,
Rural Development and Panchayati Raj Minister,
Himachal Pradesh.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-171004

Shimla-09 Dated- 30th August, 2025

Subject: Introduction and laying of Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025 on the table of the House during its Monsoon Session-Notice therefore.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to Introduce the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025 (Bill No 19 of 2025) in the Himachal Pradesh Legislative Assembly during its Monsoon Session.

Three authenticated copies of the said Amendment Bill along with statement of objects and reasons are enclosed herewith for further necessary action.

Encl. as above

Yours faithfully,

(Anirudh Singh)
RD & PR Minister,
Himachal Pradesh.

2025 का विधेयक संख्यांक 19

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।
5. धारा 5—ख का संशोधन।
6. धारा 7—क का संशोधन।
7. धारा 9 का संशोधन।
8. धारा 31 का संशोधन।
9. धारा 32 का संशोधन।
10. धारा 33 का संशोधन।
11. धारा 38 का संशोधन।
12. धारा 39 का संशोधन।
13. धारा 40 का संशोधन।
14. धारा 41 का संशोधन।
15. धारा 60 का संशोधन।
16. धारा 64 का संशोधन।
17. धारा 76 का संशोधन।
18. धारा 99 का संशोधन।
19. धारा 115 का प्रतिःस्थापन।
20. धारा 120 का संशोधन।
21. धारा 121 ग का अन्तःस्थापन।
22. धारा 122 का संशोधन।
23. धारा 133 का संशोधन।
24. धारा 134 का संशोधन।
25. धारा 142 का संशोधन।
26. धारा 144 का संशोधन।
27. धारा 145 का संशोधन।
28. धारा 151 का संशोधन।

29. धारा 152 का संशोधन।
30. धारा 155 का संशोधन।
31. धारा 158–द का संशोधन।
32. धारा 160 का संशोधन।
33. धारा 160–क का संशोधन।
34. धारा 161 का संशोधन।
35. धारा 167 का संशोधन।
36. धारा 169 का संशोधन।
37. धारा 172 का संशोधन।
38. धारा 186 का संशोधन।
39. धारा 190 का संशोधन।
40. अनुसूची–3 का प्रतिस्थापन।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इससें इसके पश्चात्"मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (22) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे

2023 कर 46

(ख) खण्ड (35)में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहित, 2023 की धारा 2 (28) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

2023 कर 45

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4, की उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) यदि कोई व्यक्ति,–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि; या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में,

लिखित रूप में कोई कथन या ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह धारा 155 के अनुसार दण्डित किया जाएगा।"।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उप–धारा (1) में,

(i) द्वितीय परन्तुक में,––

(अ) "उपायुक्त" शब्द के पश्चात् "या निदेशक" शब्द अंतः स्थापित किए जांएगे; और

(आ) "तीस" शब्द और "विशेष बैठक" शब्दों के स्थान पर "तीन" शब्द और "विशेष बैठक" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे;

(ii) तृतीय परन्तुक में, "तीस" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप–धारा (3) में,–

(i) ''साधारण'' शब्द के पश्चात् ''या विशेष'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) परन्तुक के अन्त में, ''।'' चिन्ह के स्थान पर '':"चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित'' किया जाएगा, अर्थात्:––

"परन्तु यह और कि जन साधारण की जागरूकता के प्रयोजन से और किसी भी दिवस के समारोह इत्यादि से आयोजित विशेष बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित नहीं की जाएंगी।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 5–ख की उप–धारा (1) में, "8 मार्च को" अंक और शब्दों के स्थान पर "फरवरी के पहले रविवार को" शब्द रखे जांएगे। धारा 5–ख का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 7–क की उप–धारा (3) में, " ।"चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– धारा 7–क का संशोधन।

"परन्तु ग्राम पंचायत का प्रधान उप–ग्राम सभा की बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जाएगा तथा प्रधान उक्त बैठक में भाग ले सकेगा।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) में, "सार्वजनिक होगी और" शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 9 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। धारा 31 का संशोधन।
2023 का 46

9. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (2) में,– धारा 32 का संशोधन।

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125" में शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर" भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंग; और
2023 का 46

(ख) "पांच सौ रूपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल अधिनियम की धारा 33 में, "एक सौ रूपये से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये तक" शब्द रखे जाएंगे। धारा 33 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 38 में,––

(क) खण्ड (ख) में ''भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379 "शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 (2)" शब्द, चिहन, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगेः और धारा 38 का संशोधन।
2023 का 46

(ख) खण्ड (ग) में "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 128 या 129" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 2023 का 46

धारा 39 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 39 में, "दो सौ रूपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 40 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 40 में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 225" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 2023 का 46

धारा 41 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 41 में,–

(क) उप–धारा (1) में, "दो हजार रूपये" शब्दों के स्थान पर "पचीस हजार रूपये" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (2) में, "पांच हजार रूपये" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 60 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 60 की उप–धारा (4) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 2023 का 47 2023 का 46

धारा 64 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 64 में,

(क) उप–धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 7" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (5) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33" शब्दों, चिन्ह और अंक के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 34" शब्द, चिहन और अंक रखे जाएंगे। 2023 का 46

17. मूल अधिनियम की धारा 76 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 75 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 356 या 360 शब्दों, चिहनों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023" की धारा 13 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 या 401" शब्द, चिहन और अंक रखे जाएंगे। धारा 76 का संशोधन।

2023 का 45

2023 का 46

18. मूल अधिनियम की धारा 99 में,– धारा 99 का संशोधन।

(क) उप–धारा (5) में, " ।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए पंचायत समिति निधि से रकम सम्बद्व पंचायत समिति के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''; और

(ख) उप–धारा (6) में, " ।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए जिला परिषद् निधि से रकम सम्बद्व जिला परिषद् के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''।

19. मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–– धारा 115 का प्रतिःस्थापन।

''115. बकाया की बसूली.––(1) पंचायत का सचिव पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति से दावा करने योग्य किसी कर, जल दर, किराया, फीस या किसी अन्य रकम के बकाया की वसूली हेतु ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके समस्त अवश्यक कदम उठाएगा।

(2) सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है कि सूची सहित बसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(3) सम्बद्ध मुख्य कार्याकारी अधिकारी जिला परिषद् की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है की सूची सहित बसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(4) पंचायत द्वारा दावा की गई रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में कलक्टर द्वारा बसूल की जा सकेगीः

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।''।

धारा 120 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 120 में, उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(4) यदि कोई पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के पश्चात् अपरिहार्य परिस्थिति या जन–साधारण द्वारा बहिष्कार या किन्हीं अन्य कारणों से गठित नहीं की जाती है तो पश्चात्वर्ती गठित ऐसी पंचायत की अवधि राज्य की अन्य पंचायतों के साथ साथ रहेगी।''।

धारा 121 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 121–ख के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"121–ग. निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल रहने पर निरर्हता.–यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति और समय के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल हो गया है ; या

(ख) उसके द्वारा सौंपे गए लेखे विहित प्रारूप के अनुसार नहीं है ; और

(ग) उसके लिए कोई अच्छा हेतुक या स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह निर्वाचन प्रत्याशियों के नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को पंचायत के लिए चूने जाने और पदाधिकारी होने के लिए (राजपत्र), में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु निरर्हित

घोषित करेगा और निर्वाचित पदाधिकिारी के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगाः

परन्तु कोई ऐसा प्रत्याशी ऐसे आदेश के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डायुक्त को अपील कर सकेगा और उस का आदेश अंतिम होगा।"।

धारा 122 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 122 में,–

(क) उप धारा (1) में,–

(i) खण्ड (खख) में, "आचरण का दोषी पाया गया है," शब्दों के पश्चात् "जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो"शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (घ) में "अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है" शब्दों के पश्चात् "जब तक उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है।" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खण्ड (ङ) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110" शब्द, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ;

2023 का 46

(iv) खण्ड (ढ) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगी, अर्थातः–

"(1–क) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पत्ति जिस में वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुर्व्यय, दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और

(ग) उप धारा (2) में "(1)" कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या उप धारा (1क)" कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 133 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 133 की उप धारा (1) में "निदेशक" शब्द के पश्चात् "या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 134 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 134 में,–

(क) उप धारा (2) के खण्ड (छ) में "जिला परिषद" शब्दों के पश्चात् "या निदेशक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप धारा (3)के खण्ड (छ) में, "जिला परिषद्" शब्दों के पश्चात "या निदेशक या राज्य सरकार'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 142 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 142 में,–

(क) उप धारा (1) में "पदाधिकारी," शब्द और चिन्ह के पश्चात् "कार्यालय में अपनी पदावधि के दौरान पूर्व पदाधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;––

"(3) ऐसे संबंधित नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स या अन्य योजना आधारित कर्मचारियों जैसे कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल एवं अन्य समान कार्मिकों, जो पचायतों तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित किए गये है, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा, यदि वे उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं या ऐसे कर्तव्यों का पालन सम्यक् तत्परता से या निर्देशों के अनुसार नहीं करते हैं।''।

26. मूल अधिनियम की धारा 144 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 7 के उपबन्धों "शब्दों, चिन्ह और अकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। धारा 144 का संशोधन।

2023 का 46

27. मूल अधिनियम की धारा 145 में,– धारा 145 का संशोधन।

(क) उप–धारा (1)में,

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) जो दाण्डिक आरोप या अन्यथा के लिए चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो या जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 4, 7, 9, 10, 13 और अध्याय 5 की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70(1), 70(2), 71, 80, 88 से 94 तक, 99 और अध्याय 6 की धारा 103, 104, 107, 108, 109, 141, 146 अध्याय 17 और अध्याय 18 की धारा 310(2), (3), 311, 312, 316(4), (5) 318(4), 326(छ), 331(6) और (8) तक, और या हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अध्याय 6 की धारा 39 से 59 तक या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालकों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए है:

परन्तु इस खंड के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए आरोप पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और निलंबित किया गया कोई भी पदाधिकारी, जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही

में आरोप विरचित किए गए हैं, सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निलंबित रहेगाः

परन्तु यह और कि किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से चौदह दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद निलंबित किए गए पदाधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा यदि अन्वेषण अभिकरण द्वारा हिरासत की तारीख से छह मास के भीतर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है;"; और

(ii) उप–धारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ख) उप–धारा (2–क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2–क) उप–धारा (1) के खंड (ग) या उप–धारा (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, यथास्थिति, आरोप पत्र या प्रारंभिक जांच या निरीक्षण या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे सुनवाई का असवर न दे दिया जाए।";

(ग) उप–धारा (3) में, "उप–धारा (1) या (2)" शब्दों, चिन्हों और अंक के स्थान पर "उप–धारा (1) का खण्ड (ग) उप धारा (2) "शब्द, चिन्ह और अंक रखा जाएगा; और

(घ) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(3–क) ऐसे मामलों में, यदि धारा 146 के अधीन जांच छह मास के भीतर पूरी नहीं होती है, तो जांच करने वाला अधिकारी संबंधित प्राधिकारी को लिखित में कारण प्रस्तुत करेगा और इसके अतिरिक्त छह मास के लिए एक बार विस्तार दिया जा सकेगा।

(3–ख) यदि देरी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से विधि के अनुसार जांच में असहयोग करने के लिए होती है, तो निलंबन आदेश छह मास की समाप्ति के बाद रद्द नहीं किया जाएगा और जांच अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर एकतरफा जांच के लिए आगे बढ़ेगा।

(3–ग) उक्त धारा की उप–धारा (3) के अधीन निलंबन के प्रतिसंहरण का आदेश धारा 146 के अधीन जांच को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि इसका निष्कर्ष निकल नहीं जाता है।"।

(ङ) उपधारा (4) में, चिन्ह"।", के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु यदि पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को इस सीमा तक निलंबित कर दिया जाए कि शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या पंचायत की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति पूरी नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी जैसा विहित किया जाए संबंधित ग्राम सभा की सिफारिशों पर, ऐसी समिति के प्रमुख सहित व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकेगा, जो ऐसे निलंबित पदाधिकारियों पर अंतिम निर्णय लंबित रहने तक पंचायत की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन करेगी।"।

धारा 151 का प्रतिस्थापन।

28. मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"151. किसी सदस्य पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति.––यदि पचांयत का कोई सदस्य या पदाधिकारी या सेवक, पंचायत के साथ या उस के द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, जानते हुए अर्जित करता है तो उस के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 202 के अधीन अपराध किया है।

2023 का 45

स्पष्टीकरण.——इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पंचायत के सेवक" के अन्तर्गत समस्त सम्मिलित हैं जो पंचायत का नियुक्ति प्राधिकारी और उनके पारिश्रमिक के स्त्रोत को विचार में लाए बिना पंचायत में सेवारत है।"।

धारा 152 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 152 में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 (2)" शब्द, चिन्ह, और अंक रखे जाएंगे। 2023 का 45

धारा 155 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 155 में विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और, तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबध में लिखित रूप में कोई कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"।

धारा 158–द का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 158–द में,–

(क) शीर्षक में, "मतदान के दिन" शब्दों के पश्चात् "और गणना के दिन" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (1) में, "मतदान क्षेत्र में" शब्दों के पश्चात् "और मतगणना के दिन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 160 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. जिसने केन्द्र या राज्य सरकार में ग्रुप–ए या श्रेणी–I के पद पर बीस वर्ष तक कार्य किया

हो और उसे निर्वाचन (निर्वाचनों) के संचालन का अनुभव हो तथा उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या विभागीय मामला लंबित न हो:

परन्तु यह और कि नियुक्ति करने से पूर्व सतर्कता अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।"।

धारा 160–क का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 160–क में, "राज्य सरकार" शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी" शब्द रखे जांएगे।

धारा 161 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 161 के खण्ड (iii) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "मण्डलायुक्त" शब्द रखा जाएगा।

धारा 167 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 167 की उप–धारा (2) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का 47 2023'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

धारा 169 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 169 की उप–धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर 2023 का 46 "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 384 और 385" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

धारा 172 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 172 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9–क" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 9" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

धारा 186 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 186 की उप–धारा (3) में, "सभी नियम" शब्दों के पश्चात् "अधिनियम की धारा 135 के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 190 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 190 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(28)के अर्थ " शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

40. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची–3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– अनुसूची–3 का प्रतिस्थापन।

''अनुसूची–3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
1.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	स्वेच्छया उपहति कारित करना।	115
2.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति करना।	122(1)
3.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	सदोष अवरोध।	126
4.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।	131
5.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	दंगा।	194
6.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।	206
7.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।	207
8.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए।	213
9.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना।	214
10.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना।	215
11.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।	267
12.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो।	271
13.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोक जल–स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।	279
14.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा।	285
15.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	287
16.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण।	288
17.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	किसी निर्माण को गिराने, उसकी मुरम्मत करने या संनिर्माण करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	290
18.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	291
19.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड।	292

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
20.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अश्लील कार्य और गाने।	296
21.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	आपराधिक न्यायभंग।	316 (1 और 2)
22.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	चुराई हुई सम्पत्ति।	317 (1 और 2)
23.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	छल।	318 (1 और 2)
24.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	रिष्टि (नुकसान या हानि 1,000 रुपये के मूल्य तक हों।	324 (1 और 5)
25.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	जीव–जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। (1,000 रुपये के मूल्य तक)।	325
26.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	आपराधिक अतिचार और गृह–अतिचार।	329
27.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।	352
28.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार।	355
29.	टीका अधिनियम,1880 (1880 का 13)	धारा 22 के खण्ड (क) (ख) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दण्ड	धारा 22 के खण्ड (ग) के सिवाय।
30.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	पशुओं के अभिग्रहण का बलपर्वूक विरोध करना अथवा उन्हें छुडाना।	24
31.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	सुअरों द्वारा भूमि या फसलों और सार्वजनिक सड़कों को नुक्सान पहुंचाया जाना।	26
32.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति।	3
33.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	सार्वजनिक स्थान में किशोर से तम्बाकू का अभिग्रहण करना।	4
34.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या भार साधक होने के लिए शास्ति।	3
35.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआघर में पाए जाने के लिए शास्ति।	4
36.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	गिरफ्तार व्यक्तियों पर गलत नाम और पता देने के लिए शास्ति।	7
37.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	इस अधिनिमय की धारा 22, 158 और 187 के अधीन अपराध।	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इसके उपबन्धों को निवर्तमान विधिक और प्रशासनिक सुधारों के साथ एकरूपता लाने हेतु संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधिनियमित होने से निरसित भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के संदर्भों का प्रतिस्थापित करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक निर्वाचन नामावली, निर्वाचन व्ययों, अर्हताओं, निरहर्ताओं और निर्वाचनों के स्वरूप से सम्बन्धित उपबन्धों सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की तर्ज पर चुनाव सुधारों को पुरःस्थापित करने को प्रस्ताव करता है। यह पंचायतों के कार्यकलापों को उनके कार्यकाल, निलम्बन, देयों की वसूली की बाबत शास्तियों और अधिकारिता मूल्यों में वृद्धि करने, वित्तीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करने के द्वारा सुदृढ़ीकरण करने पर भी लक्षित है।

प्रस्तावित संशोधन नई आपराधिक विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने, चुनावी प्रक्रिया को पटरी पर लाने, संस्थागत कार्यकलापों में सुधार करने, प्रक्रियों की सरलीकरण और पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु आशयित है।

यह विधयेक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख....., 2025

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीखः ....., 2025

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराएं:

2. परिभाषाएं.——इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथाअपेक्षित न हो:—

(1) से (21क) xxxxxx xxx xxx

(22) "अपराध","जमानतीय अपराध","अजमानतीय अपराध", "संज्ञेय अपराध","पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी" और "पुलिस थाना", के वे ही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 में उनके हैं;

(23) से (34) xxx xxx xxx xxx

(35) "लोक सेवक" से, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 में यथा परिभाषित लोक सेवक, अभिप्रेत है ;

4. ग्राम सभा की स्थापना.——(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में, नाम से ग्राम सभा स्थापित कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की एक सूची होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो सभा क्षेत्र से सम्बंधित, विधान सभा नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें दर्ज है और ग्राम सभा क्षेत्र का साधारणतया निवासी है, सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सभा क्षेत्रों में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो वह किसी सभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूचि में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.——पद "साधारणतया निवासी" का, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए कि उसमें "निर्वाचन क्षेत्र" के लिए निर्देशन का अर्थ "सभा क्षेत्र" के लिए निर्देशन के रूप में लगाया जाएगा, वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 में इसका है।

स्पष्टीकरण.––कोई व्यक्ति सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा यदि वह विधान सभा नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित है।

5. सभा की बैठकें और गणपूर्ति.––(1) प्रत्येक सभा प्रतिवर्ष चार साधारण बैठकें करेगी, और प्रत्येक बैठक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर मास में होगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व प्रधान का होगा :

परन्तु ग्राम सभा की साधारण बैठकें ऐसी रीति में आयोजित की जाएंगी कि जिला में समस्त ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक मास में शामिल हो जाएं। सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी जिला में ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायत–वार तारीखें अधिसूचित करेगाः

परन्तु यह कि प्रधान किसी भी समय यासदस्यों के कम से कम पांचवें भाग की लिखित अध्यपेक्षा पर, अथवा यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या उपायुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रधान के इस उप–धारा के अधीन बैठकें बुलाने में असफल रहने पर, विहित प्राधिकारी आगामी तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा।

(2) ग्राम सभा की सभी बैठकों का समय और स्थान विहित रीति में प्रकाषित किया जाएगा।

(3) ग्राम सभा की किसी साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई भाग होगी और विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगेः

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए, ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवा भाग स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित होगा।

(4) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान और प्रधान की अनुपस्थिति में उप–प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान और उप–प्रधान, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।

5–ख. महिला ग्राम सभा का गठन––(1) प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। महिला ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें, पहली 8 मार्च को और दूसरी सितम्बर के पहले रविवार को, आयोजित करेगी, जिन्हें महिला प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप–प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) महिला ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप–प्रधान द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से सम्बन्धित मामलों पर विचार–विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा।

7–क. उप–ग्राम सभा का गठन.––(1) ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए उप–ग्राम सभा होगी।

(2) वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य, उप–ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

(3) प्रत्येक उप–ग्राम सभा, प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें बुलाएगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा। उप–ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाहियों को भी अभिलिखित करेगा।

(4) उप–ग्राम सभा की बैठकों का समय और स्थान, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा नियत और अधिसूचित किया जाएगा।

(5) उप–ग्राम सभा, ग्राम सभा की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी और वह सदस्य ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जिसमें वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले कुल कुटुम्बों का 50 प्रतिशत नाम निर्दिष्ट किया जाएगा बशर्ते कि नाम निर्देशनों का आधा महिलाओं से होगा :

परन्तु यह नाम निर्देशन ग्राम सभा के किसी सदस्य को, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने से विवर्जित नहीं करेगा।

(6) उप–ग्राम सभा, अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विवाधकों पर विचार कर सकेगी और ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को सिफारिशें कर सकेगी।

9. ग्राम पंचायत की बैठकें.––(1) ग्राम पंचायत की बैठक सार्वजनिक होगी और महीने में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में और ऐसे समय पर की जाएगी जो प्रधान द्वारा नियत किया जाए :

परन्तु प्रधान, सदस्यों के बहुमत द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने की अपेक्षा करने पर, तीन दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त सदस्य, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, प्रधान और अन्य सदस्यों को एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात्, बैठक बुलाने के हकदार होंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धो और तद्धीन विरचित नियमों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के आधे से गणपूर्ति होगी।

(3) ग्राम पंचायत के विनिश्चय बहुमत से होंगे और समान मत होने पर, प्रधान का या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान का, एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।

31. क्षेत्रीय अधिकारिता.––(1)दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक मामला उस सभा के क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में, उप–प्रधान के समक्ष संस्थित किया जाएगा, जिसमें ऐसा अपराध किया गया था।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या हिमाचल प्रदेश भू–अभिघृति और भू–सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) में किसी बात के होते भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद, उस ग्राम सभा के क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किए जाने के समय प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कोई, जहां वे एक से अधिक हों, साधारणतया रहता हो या कारबार करता हो, चाहे वाद हेतुक कहीं भी उत्पन्न हुआ हो।

(3) हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 48 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही सम्बन्धित राजस्व न्यायालय द्वारा, उस स्थानीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत को अन्तरित की जाएगी जिसमें सम्बन्धित भूमि स्थित है और ग्राम पंचायत विहित रीति से ऐसी कार्यवाहियों का विनिश्चय करेगी :

परन्तु जहां भूमि एक से अधिक ग्राम पंचायतों के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो, वहां सम्बन्धित राजस्व न्यायालय ऐसी कार्यवाहियां उस ग्राम पंचायत को अन्तरित करेगा, जिसमें भूमि का अधिकतर भाग स्थित हो।

32. ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध.––(1) अनुसूची–III में उल्लिखित या ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराध, यदि ग्राम पंचायत की अधिकारिता में किए जाते हैं तो, ऐसे अपराधों को करने का दुष्प्रेरण और प्रयत्न, ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय होंगे।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत ऐसे आवेदन पर तत्समय इस सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पांच सौ रूपये प्रतिमास से अनधिक भरण–पोषण भत्ता मंजूर कर सकेगी।

33. शास्तियां.—ग्राम पंचायत एकसौ रूपये से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी किन्तु मुख्य दण्डादेष के रूप में या जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में, कारावास का दण्डादेष नहीं देगी।

38. ग्राम पंचायत द्वारा कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न किया जाना.—कोई भी ग्राम पंचायत किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगी जहां अभियुक्त कोः—

(क) तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए पहले ही सिद्ध दोष ठहराया गया हो ; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 379 के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही जुर्माना किया गया है या उक्त धारा के अधीन पहले ही न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया है और दण्डादेष किया गया है ; या

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या 110 के अधीन सदाचार के लिए बन्धित किया गया है ; या

(घ) जुए के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ङ) सरकारी सेवक है और वह कष्त्य जिसके बारे में परिवाद किया गया है, उसकी पदीय हैसियत में किया गया है।

39. अभियुक्त को प्रतिकर.—यदि जांच के पश्चात् ग्राम पंचायत का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लायागया मामला झूठा, तुच्छ या तंग करने वाला था तो, वह परिवादी को, ऐसा प्रतिकर जो दो सौ रूपये से अधिक नहीं होगा, जितना वह उचित समझे, अभियुक्त को देने के लिए आदेश दे सकेगी।

40. मैजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए मामलों की जांच.—मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 202 के अधीन, ग्राम पंचायत को, किसी भी मामले में जिसमें अपराध ऐसी ग्राम पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता में किया गया हो, जांच करने का आदेश दे सकेगा और ग्राम पंचायत मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट उक्त मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी।

41. अधिकारिता का विस्तार.—(1) ग्राम पंचायत की अधिकारिता का विस्तारण निम्नलिखित प्रकार के किसी भी वाद पर होगा, यदि इसका मूल्य दो हजार रूपये से अधिक नहीं हैः—

(क) स्थावर सम्पत्ति की बाबत संविदा से भिन्न, संविदा पर देय धन के लिए वाद ;

(ख) जंगम सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिए वाद ;

(ग) किसी जंगम सम्पत्ति को दोषपूर्वक अधिपत्य में लेने या हानि पहुंचाने पर प्रतिकर के लिए वाद;

(घ) पशुओं के अतिचार द्वारा की गई क्षति के लिए वाद ; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भू–सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 58 की उप–धारा (3) के खण्ड (घ) और (झ) के अधीन वाद।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी या सभी प्रकार के वादों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की धन सम्बन्धी अधिकारिता का, पांच हजार रूपये तक विस्तार कर सकेगी।

60. सच्चाई अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया और शक्ति.–(1) ग्राम पंचायत, किसी वाद, मामले या कार्यवाही में ऐसे साक्ष्य लेगी जैसे पक्षकार पेश करे और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकेगी जो उसकी राय में, विवाद या विवाद प्रश्नों के अवधारण के लिए आवश्यक हों।

(2) ग्राम पंचायत उस गांव में, जिससे विवाद संबंधित है, स्थानीय अन्वेषण कर सकेगी।

(3) ग्राम पंचायत के समक्ष लाए गए प्रत्येक वाद, मामले या कार्यवाही के तथ्यों को अपनी षक्ति के अनुसार प्रत्येक विधिपूर्ण साधन द्वारा अभिनिश्चित करना और उसके पश्चात् लागत सहित यारहित ऐसी डिक्री या आदेश करना जो यह न्यायसंगत और विधिपूर्ण समझे, इसका कर्तव्य होगा।

(4) ग्राम पंचायत इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36), ग्राम पंचायत के समक्ष किसी वाद, मामले या कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है या जो विहित किया जाए।

64. अभियुक्त का हाजिर होने में असफल रहना.––(1)यदि अभियुक्त हाजिर होने में असफल रहता है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत निकटतम मैजिस्ट्रेट को इस तथ्य की रिपोर्ट देगी।

(2) मैजिस्ट्रेट उप–धारा (7) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभियुक्त की गिरफतारी के वारंट जारी करेगा और वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा निर्देश देगा कि यदि ऐसा व्यक्ति उसके समक्ष अपनी हाजरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 71 द्वारा उपबन्धित रीति से बन्ध पत्र निष्पादित कर देता है तो उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा।

(3) जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तो वह उसे, ग्राम पंचायत, प्रधान या उप–प्रधान अथवा किसी पंच के समक्ष ऐसी तारीख को हाजिर होने के लिए, जिसे वह निर्दिष्ट करें, प्रतिभू सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित करने और तत्पश्चात् ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होते रहने का निर्देश देगा जैसा कि ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(4) ऐसा बन्धपत्र निष्पादित करने में असफल रहने पर मजिस्ट्रेट यह आदेश करेगा कि अभियुक्त को उप–धारा (3) में उल्लिखित व्यक्ति या ग्राम पंचायत के समक्ष पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी तारीख को, जैसी वह निर्दिष्ट करें, अभिरक्षा में पेश किया जाएगा।

(5) यदि अभियुक्त उप–धारा (3) के अधीन बन्धपत्र निश्पादित करने के पश्चात्, ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में सफल रहता है तो, ग्राम पंचायत इस तथ्य की रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को देगी जिसके समक्ष बन्धपत्र निष्पादित किया गया था, और ऐसा मैजिस्ट्रेट दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 33 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

76. ग्राम पंचायत द्वारा दोषसिद्धि का पूर्व दोषसिद्धि न होना.––ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी दोषसिद्धि, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 75 या दण्ड प्रक्रिया संक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 356 या 360 के प्रयोजन के लिए पूर्व दोषसिद्धि नहीं मानी जाएगी।

99. पंचायत निधि.––(1) प्रत्येक पंचायत, पंचायत निधि के नाम से ज्ञात, निधि स्थापित करेगी और पंचायत द्वारा प्राप्त सारी राशियां, पंचायत निधि का भाग बनेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, पंचायत में निहित सारी संपत्ति और पंचायत निधि का प्रयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों या साधारणतया पंचायत के विकास से संबधित अन्य क्रियाकलापों के अन्य प्रयोजनों या ऐसे अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा पंचायत के आवेदन पर या लोक हित में अन्यथा, स्वीकार किए जाएं। पंचायत निधि समीपस्थ सरकारी खजाने या उप–खजाने अथवा डाकखाने या सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

(3) राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी विनिर्दिष्ट संकर्म या प्रयोजन के लिए पंचायत को आबंटित राशि का उपयोग, अनन्य रूप से ऐसे संकर्म या प्रयोजन के लिए और ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशेष रूप से इस निमित्त जारी किए जाएं।

(4) ग्राम पंचायत निधि से राशि, केवल ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षारों के अधीन, यदि प्रधान के पद की आकस्मिक रिक्ति हो, तो ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक और उप–प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन और, यदि प्रधान और उप–प्रधान

दोनों के पदों की समसामयिक रूप से रिक्तियां हो जाएं, तो ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक और ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी :

परन्तु पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत में, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि में से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम उसी दषा में ही निकाल सकेगा यदि उस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव तैनात नहीं है।

(5) पंचायत समिति निधि से राशि, केवल पंचायत समिति के सचिव, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और अध्यक्ष या पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति के प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी।

(6) जिला परिषद् निधि से राशि, केवल जिला परिषद् के सचिव चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए, और अध्यक्ष या जिला परिषद् द्वारा प्राधिकृत, जिला परिषद् के किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी।

115. बकाया की वसूली.—इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी अन्य रीति में वसूलीय होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, जल दर, किराया, फीस के बकाया के रूप में कोई रकम या पंचायत द्वारा दावा योग्य कोई अन्य धन, कलक्टर द्वारा भू–राजस्व के बकायाके रूप में वसूल किया जा सकेगाः

परन्तु राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

120. पंचायत की कालावधि.—(1) प्रत्येक पंचायत, इसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बनी रहेगी और उससे दीर्घतर नहीं, यदि इसे इस अधिनियम के अधीन उससे पहले विघटित नहीं कर दिया जाता है।

(2) पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचनः–

(क) उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट इसकी कालावधि के अवसान से पूर्व;

(ख) इसके विघटन की तारीख से छः मास की अवधि के अवसान से पूर्व; पूर्ण किया जाएगा :

परन्तु जहां शेष अवधि जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती, छः मास से कम है; वहां इस खण्ड के अधीन ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठिन करने के लिए कोई निर्वाचन कराया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) इसकी कालावधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत केवल उस षेश अवधि के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत उप–धारा(1) के अधीन बनी रहती, यदि इसका विघटन न किया गया होता।

122. निरर्हताएं.––(1) कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगाः–

(क) यदि उसे तत्सयम प्रवृत किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ; या

(खख) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है ; या

(ग) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.––इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10–क के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ङ) यदि उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 110 के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है; या

(च) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित कियागया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के; या

(छ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: या

××××××××××××××××××××××××

स्पष्टीकरणः——इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।

(ज) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; या

(झ) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म यापंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंष या हित है; या

(ञ) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है; या

(ट) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है; या

(ठ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छः वर्श की अवधि का अवसान न हो गयाहो; या

(ड) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है; या

(ढ) यदि उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित कोई मिथ्या घोषणा की है:

परन्तु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 विद्यमान पंचायतों के पदाधिकारियों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(2) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगाः–

(i) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ;

(ii) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है तो उपायुक्त द्वारा।

133. ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति.–(1) ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव होगा, जो निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके कष्त्यों के निर्वहन में, ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान की सहायता करना, सचिव का कर्तव्य होगा।

134. पंचायत समिति और जिला परिशद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव की नियुक्ति.––(1) प्रत्येक पंचायत समिति में, खण्ड विकास अधिकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रत्येक जिला परिषद् में, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। पंचायत निरीक्षक, पंचायत समिति का सचिव होगा और जिला पंचायत अधिकारी, जिला परिषद् का सचिव होगा।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित या प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा;

(ग) सभी संकर्मों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा;

(घ) सभी संकर्मों और विकासात्मक स्कीमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(ङ) पंचायत समिति और सम्बद्ध विभागों के खण्ड स्तर के कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा और, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्रस्तावों का समय के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करेगा;

(च) यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक में और उसकी किसी अन्य समिति की बैठक में उपस्थित रहेगा तथा विचार–विमर्श में भाग लेगा, किन्तु उसे कोई प्रस्ताव पेश करने या मत देने का अधिकार नहीं होगा; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसे उसे पंचायत समिति या जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किए जाएं।

(3) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सचिव–

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित या प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) सभी संकर्मों के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगा;

(ग) पंचायत समिति या जिला परिषद् तथा इसकी स्थायी समितियों और अन्य समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों से सम्बन्धित सामान्य मुद्रा और समस्त कागज–पत्रों तथा दस्तावेजों की अभिरक्षा करेगा;

(घ) पंचायत की निधि में से धन का आहरण और संवितरण करेगा;

(ङ) पंचायत समिति या जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक में और इसकी किसी अन्य समिति की बैठक में उपस्थित रहेगा तथा विचार–विमर्श में भाग लेगा, किन्तु उसे कोई प्रस्ताव पेश करने या मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उसकी राय में पंचायत समिति या जिला परिषद् के समक्ष कोई प्रस्ताव इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबन्धों, तदधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला है या असंगत है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसे, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् के ध्यान में लाए;

(च) पंचायत समिति या जिला परिषद् और इसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियाँ अभिलिखित करेगा; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे समय–समय पर पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा न्यस्त किए जाएं।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित धन, लेखे, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की, इस प्रयोजन के लिए लिखित अध्यपेक्षा पर, उक्त अधिकारी या अध्यपेक्षा में उसे प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को तत्काल ऐसा धन सौंपेगा या ऐसे लेखों, अभिलेखों या अन्य सम्पत्ति को परिदत्त करेगा।

142. हानि, दुरूपयोजन आदि के लिए पदाधिकारियों का दायित्व.––(1) पंचायत का प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। वह राशि, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगीः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) यदि संबंधित व्यक्ति राशि का संदाय नहीं करता है तो ऐसी राषि भू–राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी और संबंधित पंचायत की निधि में जमा की जाएगी।

144. अभिलेख तथा वस्तुएं वसूल करने की शक्ति.––(1) जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत का कोई अभिलेख या वस्तुएं xxxxx अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएं xxxxxx ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे, पंचायत को तुरन्त परिदत्त कर दिया जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन निर्देशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है xxxxxx या ऐसा करने से इन्कार करता है तो विहित प्राधिकारी मैजिस्ट्रेट को मामले की रिपोर्ट कर सकेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करवा सकेगा और उसे पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज सकेगा।

(3) मैजिस्ट्रेटः–

(क) xxxx xxxx xxxx

(ख) किसी ऐसे अभिलेख या किन्हीं ऐसी वस्तुओं को वापस कराने के लिए तलाशी वांरट जारी कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हो।

(4) उप–धारा (1) या (2) या (3) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए।

(5) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरम्भ की जाने से छः वर्ष की कालावधि के लिए, किसी पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरर्हित होगा।

145. पंचायत के पदाधिकारियों का निलम्बन.––(1)विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदाधिकारी को पद से निलम्बित कर सकेगा–

(क) जो दाण्डिक आरोप या अन्यथा के लिए चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो या जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 5–क, 6, 9–क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304–ख, 305, 306, 307, 312 से 318 तक, 336–क, 366–ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 420, 436, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और42 या पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 की धारा 61 की उपधारा(1) के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालकों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं ;

(ख) जिस पर इस अधिनियम के अधीन उसे पद से हटाए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस आरोप पत्र के साथ तामील किया गया है;

(ग) जहां उसके विरुद्ध की गई शिकायत पर प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टि या पंचायत निधियों के दुर्विनियोग, दुरूपयोग या गबन का प्रकटीकरण होता है या वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के लिए दोषी पाया जाता है :

परन्तु यह कि कोई पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध खण्ड(क) के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए है, यदि निलंबित किया जाता है, तो सक्षम न्यायालय के अन्तिम विनिश्चय तक निलंबित रहेगा।

(2) जहां निरीक्षण रिपोर्ट या संपरीक्षा रिपोर्ट से पंचायत के पदाधिकारी द्वारा पंचायत निधि के दुर्विनियोग, दुरूपयोग या गबन का प्रकटीकरण होता है और विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पद पर बने रहने से धारा 146 के अधीन जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अभिलेख में गड़बड़ करने और साक्षियों को तोड़ने की आशंका है, तो ऐसे व्यक्ति को निलम्बित कर सकेगा और यदि उसके कब्जे में पंचायत का कोई अभिलेख, धन या अन्य सम्पत्ति है तो उसे ऐसे अभिलेख, धन या सम्पत्ति को पंचायत के सचिव को सौंपने का आदेश देगा।

(2–क) उप–धारा (1) या (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित नहीं किया जाएगा जब कि उसे सुनवाई का असवर न दे दिया जाए।

(3) उप–धारा (1) या (2) के अधीन निलम्बन आदेष की, रिपोर्ट निलम्बन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, जिला परिषद् के पदाधिकारियों के मामले में, सम्बन्धित मण्डलायुक्त को और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मामले में, सम्बन्धित उपायुक्त को की जाएगी, जो तत्पश्चात् ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, धारा 146 के अधीन जांच का आदेश देगा और छः मास के भीतर जांच और कार्रवाई पूर्ण करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच और कार्रवाई के पूरा न होने की दशा में, निलम्बन आदेष प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा और तदानुसार औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा।

(4) ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उप–प्रधान, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही के उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के अधीन निलम्बित कर दिए जाने की दशा में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, प्रधान या अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अर्हित किसी पदाधिकारी को, यथास्थिति, प्रधान या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी। ऐसा व्यक्ति उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलम्बन चालू रहता है, यथास्थिति, प्रधान, या अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जिसे उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, किसी ऐसी अन्य पंचायत के सदस्य के या पद्धारी के पद से भी तत्काल निलंम्बित हो जाएगा जिसका

कि वह सदस्य या पदाधिकारी है। ऐसा व्यक्ति, अपने निलंम्बन के दौरान, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी निरर्हित होगा।

151. किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति.—यदि पंचायत का कोई सदस्य या पदाधिकारी या सेवक, पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, विहित प्राधिकरी की मंजूरी या अनुज्ञा के बिना, जानते हुए अर्जित करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

152. अधिकारियों आदि का सदोश अवरोध.——कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसे अधिकारी या सेवक ने किसी स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की अपनी शक्तियां विधिपूर्वक प्रत्यायोजित की है, उस स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की उसकी विधिपूर्वक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 341 के अधीन अपराध किया है।

155. जानकारी न देने या मिथ्य जानकारी देने के लिए शास्ति.—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम द्वारा या उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, दोशसिद्धि पर, जुर्मान से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

158—द. मतदान के दिन शराब बेचना, देना या वितरित न करना.——(1) कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां उसके कब्जे में पाये गए स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक धराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ अधिहरण के दायी होंगे और उनका निपटारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

160. राज्य निर्वाचन आयोग.––(1)इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य में पंचायत निकायों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के लिए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियमों द्वारा अवधारित करेः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च–न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा षर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएगा, जितने इस अधिनियम के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।

160–क. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण.––(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में,––

(क) इस प्रयोजन के लिए उसका मतदान केन्द्र के रूपमें या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाए, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है; अथवा

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है,

तो राज्य सरकार ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगी जैसा कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उप–धारा के अधीन तब तक अधिगृहित न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जाएगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उप–धारा (1) के अधीन अधिगष्हीत की जाए तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उप–धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में–

(क) "परिसर"से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है, और झोंपड़ी, शैड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है; और

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

161. निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी.–इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई निम्नलिखित द्वारा की जाएगी––

(i) ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के मामले में उप–मण्डल अधिकारी द्वारा; और

(ii) जिला परिषद् के सदस्यों के मामले में उपायुक्त द्वारा।

(iii) जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में आयुक्त द्वारा।

167. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया.——(1)इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत अधिकारी यथाशक्य शीघ्र और साधारणतया प्रत्येक निर्वाचन अर्जी का धारा 163 के अधीन इसके उपस्थापित किए जाने की तारीख से छः मास के भीतर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विचारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चय करेगा :

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को, कारणों को अभिलिखित करके किसी साक्षी या साक्षियों का परीक्षण करने से इन्कार करने का विवेकाधिकार प्राप्त होगा, यदि इसकी यह राय हो कि उनका साक्ष्य अर्जी के विनिश्चय के लिए तात्विक नहीं है या साक्षियों को पेश करने वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों को विलम्बित करने के लिए, ऐसा कर रहा है।

(2) इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के (1872 का 1) उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन अर्जी के विचारण के लिए लागू समझे जायेंगे।

169. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां.—निम्नलिखित मामलों के बारे में विचारण करते समय प्राधिकृत अधिकारी को वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय में निहित हैः—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना और उनके खर्च को जमा कराने की अपेक्षा करना ;

(ग) दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना;

(घ) साक्षियों का शपथ पर परीक्षण;

(ङ) स्थगन मंजूर करना;

(च) शपथ पत्र पर लिए गए साक्ष्य को प्राप्त करना;

(छ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन निकालना;

और किसी व्यक्ति को जिसका साक्ष्य तात्विक प्रतीत हो, स्वप्रेरणा से समन और उसका परीक्षण करना तथा यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.––साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमा, हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा होगी।

172. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाण पत्र.––(1) किसी भी साक्षी को, निर्वाचन अर्जी के विचारण में विवाद विशय से सुसंगत किसी विशय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे अपराध में फंसा सकेगा या उसको अपराध में फंसाने वाला हो सकेगा या उसको किसी शास्ति या समपहरण के जोखिम में डाल सकेगा या जोखिम में डालने वाला बना सकेगा :

परन्तुः

(क) वह साक्षी जो उन्हें सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता है जिसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा की जाती है, निर्वाचन अधिकरण से परित्राण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा; और

(ख) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष पूछे गए प्रष्न का साक्षी द्वारा दिया गया उतर, उस साक्ष्य सम्बन्धी शपथ भंग के लिए दाण्डिक कार्यवाही के बारे में साक्ष्य के सिवाय किसी, सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में उसके विरूद्ध साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगा।

(2) जब किसी साक्षी को परित्राण प्रमाण–पत्र दे दिया जाता हैं, तो उस द्वारा उसका किसी न्यायालय में अभिवचन किया जा सकेगा और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 9–क के अधीन उस विषय से जिससे ऐसा प्रमाणपत्र सम्बन्धित है, प्रोद्भूत होने वाले किसी आरोप पर या उसके विरुद्ध विस्तृत और पूरी प्रतिरक्षा करेगा, किन्तु वह उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित निर्वाचन से सम्बन्धित किसी ऐसी निरर्हता से, अवमुक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा।

186. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन विहित यानियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने के लिए आपेक्षित सभी या किन्ही विषयों के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा।

(3) सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

(4) सभी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

(5) कोई नियम बनाते समय, राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा और भंग के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, पांच रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

190. पंचायत के सदस्यों और सेवकों का लोक सेवक होना.—पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अनुसूची–3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

संख्या	अधिनियम / संहिता का नाम	अपराध	धारा
1.	भारतीय दण्ड संहिता	दंगा करना।	160
2.	भारतीय दण्ड संहिता	समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना।	172
3.	भारतीय दण्ड संहिता	विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समनों की तामील और प्रचार करने में रूकावट पैदा करना।	173
4.	भारतीय दण्ड संहिता	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।	178
5.	भारतीय दण्ड संहिता	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इन्कार करना।	179
6.	भारतीय दण्ड संहिता	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना।	180
7.	भारतीय दण्ड संहिता	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करना या उसके कार्य में विघ्न डालना।	228
8.	भारतीय दण्ड संहिता	अध्याय 13 में उल्लिखित वाटों और मापों से सम्बन्धित अपराध।	264 से 267
9.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी कार्य को उपेक्षापूर्वक करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	269
10.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी सार्वजनिक स्त्रोत अथवा जलाशय का जल कलुशित करना।	277
11.	भारतीय दण्ड संहिता	लोक मार्ग अथवा नौ–परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना।	283
12.	भारतीय दण्ड संहिता	अग्नि अथवा किसी दहनशील पदार्थ से संसव्यवहार करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	285
13.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी विस्फोटक पदार्थ आदि से संव्यवहार करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	286
14.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी ऐसे भवन जिसे कोई व्यक्ति गिराने और जिसकी मुरम्मत कराने का अधिकार रखता है, से मानव जीवन को	288
15.	भारतीय दण्ड संहिता	संभावित खतरे से बचाव करने में चूक करना।	289
16.	भारतीय दण्ड संहिता	जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	290
17.	भारतीय दण्ड संहिता	लोक न्यूसैंस करना।	294
18.	भारतीय दण्ड संहिता	अश्लील कार्य और गाने।	323
19.	भारतीय दण्ड संहिता	स्वेच्छा से उपहति करना।	334

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
20.	भारतीय दण्ड संहिता	प्रकोपन पर स्वेच्छा से उपहति करना।	341
21.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी व्यक्ति को सदोश अवरूद्ध करना।	352
22.	भारतीय दण्ड संहिता	गंभीर प्रकोपन से भिन्न हमला या अपराधिक बल का प्रयोग। चोरी, जहां चोरी हुई सम्पत्ति का मूल्य 250/– रूपये से अधिक न हो, परन्तु कोई भी ग्राम पंचायत किसी ऐसे परिवाद का संज्ञान नहीं करेगी यदि अभियुक्तः– (i) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XII या XVII के अधीन पहले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जो दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से दण्डनीय है जो तीन वर्ष या उससे अधिक का हो ; या (ii) उसे पहले किसी पंचायत द्वारा, चोरी के लिए या चोरी की गई सम्पत्ति को प्राप्त करने या रखे रहने के लिए, जुर्मानें से दण्डित किया हो ; या (iii) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकष्त अभ्यासिक अपराधी हों ; और (iv) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या 110 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में अच्छे आचरण के लिए आबद्ध किया गया हो ; (v) उसके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी निर्बन्धन अधिनियम, 1973 (1973 का 9) के अधीन आदेश या निर्बन्धन प्रवृत हो ; और (vi) जुए के लिए पहले सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो।	379
23.	भारतीय दण्ड संहिता	बेईमानी से दुर्विनियोग यदि इसके अधीन सम्पत्ति 250 रूपये से अधिक न हो।	403•[47]
24.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधिक न्याय भंग यदि इसके अधीन सम्पत्ति 250 रूपये से अधिक न हो।	406•
25.	भारतीय दण्ड संहिता	चोरी की हुई सम्पत्ति बेईमानी से प्राप्त करना या रखे रहना यदि इसके अधीन सम्पत्ति 250 रूपये से अधिक न हो।	411•
26.	भारतीय दण्ड संहिता	छल करना यदि इसके अधीन सम्पत्ति 250 रूपये से अधिक न हो।	417•
27.	भारतीय दण्ड संहिता	रिष्टि जबकि हुआ नुकसान या हानि 50 रूपये के मूल्य से अधिक न हो।	426
28.	भारतीय दण्ड संहिता	रिष्टि और एतद् द्वारा सम्पत्ति को हुआ नुक्सान या हानि 50/–रूपये या 50/–रूपये से अधिक मूल्य का हो।	427

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
29.	भारतीय दण्ड संहिता	10/—रूपये के मूल्य के पशु को विकलांग करना।	428
30.	भारतीय दण्ड संहिता	ऐसे किसी भी मूल्य के ढोर आदि या 50/—रूपये के मूल्य के किसी पशु का बध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि।	429
31.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधिक अतिचार।	447
32.	भारतीय दण्ड संहिता	शान्ति भंग करने के आशय से किसी का अपमान करना या उतेजित करना।	504
33.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधात्मक अभिवास आदि के लिए दण्ड।	506
34.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी स्त्री की लज्जा को अपमानित करने हेतु कोई शब्द बोलना अथवा कोई अंग विक्षेप।	509
35.	भारतीय दण्ड संहिता	मत व्यक्ति को लोक स्थान में अवचार।	510
36.	टीका अधिनियम, 1880 (1880 का 13)	धारा 22 के खण्ड (क) (ख) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दण्ड।	धारा 22 के खण्ड (ग) के सिवाय।
37.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करना अथवा उन्हें छुड़ाना।	24
38.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	सुअरों द्वारा भूमि या फसलों और सार्वजनिक सड़कों को नुक्सान पहुंचाया जाना।	26
39.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति।	3
40.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	सार्वजनिक स्थान में किशोर से तम्बाकू का अभिग्रहण करना।	4
41.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या भार साधक होने के लिए शास्ति।	3
42.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर में पाए जाने के लिए शास्ति।	4
43.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	गिरफतार व्यक्तियों पर गलत नाम और पता देने के लिए शास्ति।	7
44.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	इस अधिनिमय की धारा 22, 158 और 187 के अधीन अपराध।	

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 19 OF 2025

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 5.
5. Amendment of section 5-B.
6. Amendment of section 7-A.
7. Amendment of section 9.
8. Amendment of section 31.
9. Amendment of section 32.
10. Amendment of section 33.
11. Amendment of section 38.
12. Amendment of section 39.
13. Amendment of section 40.
14. Amendment of section 41.
15. Amendment of section 60.
16. Amendment of section 64.
17. Amendment of section 76.
18. Amendment of section 99.
19. Substitution of section 115.
20. Amendment of section 120.
21. Insertion of section 121-C.
22. Amendment of section 122.
23. Amendment of section 133.
24. Amendment of section 134.
25. Amendment of section 142.
26. Amendment of section 144.
27. Amendment of section 145.
28. Substitution of section 151.
29. Amendment of section 152.
30. Amendment of section 155.
31. Amendment of section 158-R.
32. Amendment of section 160.

33. Amendment of section 160-A.
34. Amendment of section 161.
35. Amendment of section 167.
36. Amendment of section 169.
37. Amendment of section 172.
38. Amendment of section 186.
39. Amendment of section 190.
40. Substitution of SCHEDULE –III.

Bill No. 19 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2025.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (22), for the words, signs and figures " section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 2 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted; and

46 of 2023

(b) in clause (35), for the words, signs and figures "section 21 of the Indian Penal Code, 1860 " , the words, signs and figures "section 2 (28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be substituted .

45 of 2023

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If any person makes in connection with, -

(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll; or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished as per section 155.".

Amendment of section 5.

4. In section 5 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),

(i) in second proviso,—

(A) after the words "Deputy Commissioner", the words "or the Director" shall be inserted;

(B) for the figures "30" and for the words "an extra-ordinary general meeting", the words "three " and "a special meeting" shall be substituted respectively; and

(ii) in third proviso for the word " thirty" , the word "seven" shall be substituted;

(b) in sub-section (3),-

(i) after the word "general", the words "or a special" shall be inserted; and

(ii) in the end of the proviso for the sign"." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that a special meeting organised for the purpose of awareness of general public and celebration of any day etc., shall not be adjourned for want of quorum.".

Amendment of section 5-B.

5. In section 5-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figure and words "8th March", the words "first Sunday of February" shall be substituted.

6. In section 7-A of the principal Act, in sub-section (3), for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:— Amendment of section 7-A.

"Provided that the Pradhan of the Gram Panchayat should be invited as a special invitee in the meetings of Up-Gram Sabha and the Pradhan may attend the said meetings.".

7. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), the words "shall be public and" shall be omitted. Amendment of section 9.

8. In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, signs and figures "the Criminal Procedure Code, 1973", the words, sign and figures "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted. Amendment of section 31.

46 of 2023

9. In section 32 of the principal Act, in sub-section (2),- Amendment of section 32.

(a) for the words, signs and figures "section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 144 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted; and

46 of 2023

(b) for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

10. In section 33 of the principal Act, for the words " not exceeding one hundred", the words "which may extend to one thousand" shall be substituted. Amendment of section 33.

11. In section 38 of the principal Act,- Amendment of section 38.

(a) in clause (b), for the words, signs and figures "section 379 of the Indian Penal Code ", the words, signs and figures "section 303(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023" shall be substituted; and

45 of 2023

(b) in clause (c), for the words, signs and figures "sections 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, signs and figures "sections 128 or 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted. 46 of 2023

Amendment of section 39.

12. In section 39 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of section 40.

13. In section 40 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 202 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 225 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted. 46 of 2023

Amendment of section 41.

14. In section 41 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the words "two thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 60.

15. In section 60 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, signs and figures "the Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, signs and figures " the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted. 47 of 2023 46 of 2023

Amendment of section 64.

16. In section 64 of the principal Act,-

(a) in sub-section (2), for the words, sign and figures "section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973" , the words, sign and figures "section 7 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted ; and 46 of 2023

(b) in sub-section (5), for the words, number, sign and figures "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 " , the words, number, sign and figures "Chapter XXXIV of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted. 46 of 2023

17. In section 76 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 75 of the Indian Penal Code, 1860 or section 356 or 360 of Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "section 13 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 or sections 394 or 401 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted. Amendment of section 76. 45 of 2023 46 of 2023

18. In section 99 of the principal Act,- Amendment of section 99.

(a) in sub-section (5), for the sign ".", the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:-

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Panchayat Samiti Fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Panchayat Samiti, for which *ex-post facto* approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting."; and

(b) in sub-section (6), for the sign ".", the sign " : " shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Zila Parishad fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Zila Parishad, for which ex-post facto approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting.".

19. For section 115 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:- Substitution of section 115.

"115. Recovery of arrears.—(1) The Secretary of the Panchayat shall take all necessary steps for the recovery of arrears of any tax, water rate, rent, fee, or any other sum claimable by the Panchayat from any person, by issuing a notice of recovery to such person.

(2) The Block Development Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, along with a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Panchayat Samiti and the Gram Panchayat.

(3) The Chief Executive Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, along with a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Zila Parishad.

(4) The amount claimable by a Panchayat may be recovered by the Collector as an arrear of land revenue:

Provided that the State Government may, by order, appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953.". 6 of 1954

Amendment of section 120.

20. In section 120 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If a Panchayat is not constituted due to *force-majeure* conditions or boycott by general public or due to some other reasons after the issue of election programme by the State Election Commission, the term of such Panchayat constituted later on shall run concurrently with other Panchayats of the State.".

Insertion of section 121-C.

21. After section 121-B of the principal Act, following shall be inserted, namely:—

"121-C. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the authorised officer is satisfied that,—

(a) the candidate has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; or

(b) the account lodged by the candidate are not in accordance with prescribed format, and

(c) the candidate has no good reason or justification for the failure mentioned in clause (a) or (b), above,

he shall, forward the names of such contesting candidates to the District Election Officer, who shall by order published in the Gazette,declare such candidates disqualified for being chosen as, and for being office bearer, of a Panchayat for a period of three years from the date of publication of the order in the Gazette and declare the election of the elected office bearer to be void:

Provided that any such candidate may file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of 30 days from the publication of such order and his order shall be final.".

Amendment of section 122.

22. In section 122 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (bb), after the words "section 180 of this Act", the words "unless a period of six years has elapsed from the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given" shall be inserted;

(ii) in clause (d), after the words "for the time being in force", the words "unless a period of six years has elapsed since his conviction" shall be inserted;

(iii) in clause (e), for the words, sign and figures "section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted; and

46 of 2023

(iv) the proviso to clause (n) shall be omitted;

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1-A) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the Panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a Panchayat."; and

(c) in sub-section (2), after sign and figure "(1)", the words, signs, and figure "or sub-section (1-A)" shall be inserted.

Amendment of section 133.

23. In section 133 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Director", the words "or any other officer authorised by him" shall be inserted.

Amendment of section 134.

24. In section 134 of the principal,

(a) in sub-section 2, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director" shall be inserted; and

(b) in sub-section 3, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director or the State Government" shall be inserted.

Amendment of section 142.

25. In section 142 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words and sign "office bearer,", the words and sign "Ex-office bearer during his tenure in the office" shall be inserted; and

(b) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) The responsibility of concerned regular, contractual, daily wage, outsourced or other scheme based employees like Junior Engineers, Gram Rojgar Sahayaks, Technical

Assisntants, Accountants and other similar workers engaged by the Panchayats and the Panchayati Raj department shall also be fixed, in case they fail to perform the duties assigned to them or do not perform such duties with due diligence or in accordance with the instructions.

Amendment of section 144.

26. In section 144 of the principal Act, in sub-section 3, in clause (b), for the words, signs and figures "Provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, signs, and figures "provisions of Chapter VII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted.

46 of 2023

Amendment of section 145.

27. In section 145 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) who remained in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise or against whom charges have been framed in any criminal proceedings under chapter IV, VII, IX, X, XIII, sections 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 to 94, 99 of chapter V, sections 103,104, 107, 108, 109, 141, 146 of chapter VI, sections 310(2) and (3), 311, 312, 316(4) and (5), 318(4), 326 (g), 331(6) and (8) of Chapter XVII and Chapter XVIII of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 or sections 39 to 59 of Chapter-VI of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 or the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 or the Prevention of Corruption Act, 1988 or any other law for the time being in force for the prevention of adulteration of food stuff and drugs, suppression of immoral traffic in women and children and protection of civil rights:

33 of 2012
32 of 2012
49 of 1988

Provided that for suspending any office bearer under this clause there shall be no requirement to issue show cause notice along with chargesheet and any office bearer, placed under suspension against whom charges have been framed in any criminal proceedings shall remain under suspension, till the final decision of the competent court :

Provided further that the suspension of an office bearer placed under suspension after remaining in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise shall be revoked, if chargesheet is not produced by the investigating agencies in the competent court within six months from the date of custody;"; and

(ii) the proviso to sub-section (1) shall be deleted.

(b) for sub-section (2-A), the following shall be substituted, namely:—

"(2-A) No office bearer shall be placed under suspension under clause (c) of sub-section (1) or sub-section (2) unless he has been given an opportunity of being heard by issuing a show cause notice along with a copy of chargesheet or preliminary inquiry or inspection or audit report, as the case may be.";

(c) in sub-section (3), for the words, signs and figures "sub-section (1) or (2)", the words, signs and figures "clause (c) of sub-section (1) or sub-section (2)" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(3-A) In cases, where inquiry under section 146 is not completed within six months, the officer holding inquiry shall furnish reasons in writing to concerned authority and further, one time extension for six month may be given.

(3-B) Where the delay is on the part of the elected representative for non-cooperation in the inquiry in accordance with law, the suspension order shall not be revoked after expiry of six months and the inquiry officer shall further proceed for *ex-parte* inquiry within stipulated period.

(3-C) The order of revocation of suspension under sub-section (3) of said section shall not affect the inquiry under section 146 until it is concluded.".

(e) in sub-section (4), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the elected office bearers of a Panchayat are suspended to the extent that the number of remaining elected office bearers do not fulfill the quorum required for convening a meeting of the Panchayat, then the State Government or the authority as may be prescribed, may constitute a committee of persons along with head of such committee on the recommendations of Gram Sabha concerned, to exercise the powers, perform the duties and discharge the functions of the Panchayat until the final decision is pending on such suspended office bearers.".

Substitution of section 151.

28. For section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"151. Penalty for acquisition by a member, office bearer or servant of interest in contracts.—If a member or office bearer or servant of Panchayat knowingly acquires, directly or indirectly any personal share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of a Panchayat, he shall be deemed to have committed an offence under section 202 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

45 of 2023

"*Explanation:*—For the purposes of this section "servant of panchayat" shall include all the employee who are serving in Panchayats irrespective of appointing authority not being the Panchayat and irrespective of the source of their remuneration.".

Amendment of section 152.

29. In section 152 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 341 of the Indian Penal Code, 1860" , the words, signs and figures "section 126 (2) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be substituted. 45 of 2023

Amendment of section 155.

30. In section 155 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"(2) If any person makes in connection with, the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished with fine of five thousand rupees.".

Amendment of section 158-R.

31. In section 158-R of the principal Act,-

(a) in heading, after the words "distributed on Polling day", the words "and counting day" shall be inserted; and

(b) in sub-section (1), after the words " in that polling area", the words "and on the day of counting" shall be inserted.

Amendment of section 160.

32. In section 160 of the principal Act, in sub-section (1), at the end for the sign "." the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:-

"Provided that only such person shall be considered for appointment as State Election Commissioner who has worked for twenty years in a Group-A or Class-I post in the Central or State Government with experience of conducting elections and there is no vigilance or departmental case pending against him:

Provided further that the Vigilance Clearance Certificate shall also be obtained before making appointment.".

Amendment of section 160-A.

33. In section 160-A of the principal Act, for the words "State Government", wherever occurs the words "District Election Officer" shall be substituted.

Amendment of section 161.

34. In section 161, in clause (iii), for the word "Commissioner", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

Amendment of section 167.

35. In section 167 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, signs and figures "Indian Evidence Act, 1872" , the words, sign and figures "Bhartiya Sakshya Adhiniyam , 2023" shall be substituted.

47 of 2023

Amendment of section 169.

36. In section 169 of the principal act, for the words, signs and figures "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 " , the words, signs and figures "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted.

46 of 2023

Amendment of section 172.

37. In section 172 of the principal Act, for the words, signs and figures "Chapter IX-A the Indian Penal Code, 1860" , the words, signs and figures "Chapter IX of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be substituted.

45 of 2023

Amendment of section 186.

38. In section 186 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "All rules", the words " except the rules framed under section 135(2)", shall be inserted.

Amendment of section 190.

39. In section 190 of the principal Act, for the words, signs, and figure, "the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860", the words, signs and figures "the meaning of section 2(28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be substituted.

45 of 2023

Substitution of SCHEDULE-III.

40. For SCHEDULE-III appended to the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-III
(See section 32)

OFFENCES COGNIZABLE BY A GRAM PANCHAYAT

No. 1	Name of Act/Code 2	Offence 3	Section 4
1	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Voluntarily causing hurt	115
2	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Voluntarily causing hurt on provocation	122(1)
3	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Wrongful restraint	126
4	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation.	131
5	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Affray	194
6	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Absconding to avoid service of summons or other proceedings.	206
7	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Preventing service of summons or other proceedings, or preventing publication thereof.	207
8	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Refusing oath or affirmation when duly required by a public servant to make it.	213
9	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Refusing to answer a public servant authorised to question.	214
10	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Refusing to sign statement.	215
11	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding.	267
12	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent act likely to spread insfection of disease dangerous life.	271

No.	Name of Act/Code	Offence	Section
13	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Fouling the water or public spring or reservoir.	279
14	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Danger of obstruction in public way or line of navigation.	285
15	Bhartiya Nyaya Sanhita 2023	Negligent conduct with respect to fire or combustible matter.	287
16	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to explosive substance.	288
17	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to pulling down, repairing as contructing buildings, etc.	290
18	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Negligent conduct with respect to animal	291
19	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Pubishment for public nuisance in cases not otherwise provided for	292
20	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Obscene acts and songs	296
21	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Criminal breach of trust	316 (1) and (2)
22	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Stolen property	317 (1) and (2)
23	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Cheating	318 (1) and (2)
24	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Mischief (causing damage to property or loss up to Rs. 1000/-).	324 (1) to (5)
25	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Mischief by killing or maiming animal (value of up to Rs. 1000/-).	325
26	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Criminal trespass and house-trespass	329
27	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Intentional insult with intent to provoke breach of peace.	352
28	Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023	Misconduct in public by a drunken person	355
29	The Vaccination Act, 1880 (Act XIII) of 1880)	Punishment of offences covered by clauses (a), (b) and (d) of section 22.	22 except clause (c)

No.	Name of Act/Code	Offence	Section
30	The Cattle Trespass Act, 1871	Forcibly opposing the seizure of cattle or re-securing the same.	24
31	The Cattle Trespass Act, 1871	Causing damage to land or crops or public roads by pigs.	26
32	The Himachal Pradesh Juveniles (Prevention of Smoking) Act, 1952.	Penalty for selling tobacco to children	3
33	The Himachal Pradesh Juveniles (Prevention of Smoking) Act, 1952.	Seizure of tobacco from juveniles in a public place.	4
34	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Penalty for owning or keeping or having charge of gambling house.	3
35	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Penalty for being found in a gamblig house	4
36	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Penalty on persons arrested for giving false names and address.	7
37	The Public Gambling Act, 1867 (II of 1867).	Offences under sections 22, 158 and 187 under this Act.”.	

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 requires amendments to align its provisions with recent legal and administrative developments. The enactment of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, has necessitated substitution of references to the repealed Indian Penal Code, 1860, Criminal Procedure Code, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872.

The Bill further proposes to introduce electoral reforms on the analogy of the Representation of the People Act,1951, including provisions relating to electoral rolls, election expenses, qualifications, disqualifications and conduct of elections. It also aims to strengthen the functioning of Panchayats, by enhancing penalties and jurisdictional values, rationalising financial procedures, and providing administrative clarity with respect to tenure, suspension, recovery of dues.

The proposed amendments are intended to ensure conformity with the new criminal laws, streamline electoral processes, improve institutional functioning, simplify procedures, and enhance accountability of office bearers.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIRUDH SINGH)
Minister-in-Charge.

Shimla:
The....., 2025.

FINANCIAL MEMORADNUM

-Nil -

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

(ANIRUDH SINGH)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

The----------, 2025.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ ACT, 1994 (ACT No. 4 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) to (21-A) xxx xxxx

(22) "offence", "bailable offence", "non-bailable offence", "cognizable offence", "Officer-in-charge of a police station" and "police station" shall have the same meanings as are assigned to them in section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974;

(23) to (34) xxx xxxx

(35) "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860(45 of 1860);

36) to (40) XXXX

4. Establishment of Gram Sabha.— (1) The Government may, by order, establish a Gram Sabha by name in every Sabha area.

(2) For every Gram Sabha established under sub-section (1), there shall be a list of voters which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act and the rulPes made thereunder.

(3) Every person who is qualified to be registered in the Legislative Assembly roll relatable to the Sabha area or whose name is entered therein and is ordinarily resident within the Gram Sabha area shall be entitled to be registered in the list of voters of that Sabha area:

Provided that no person shall be entitled to be registered in the list of voters for more than one Sabha area:

Provided further that no person shall be entitled to be registered in the list of voters of a Sabha area if he is already registered as a voter in a Municipality.

Explanation-I.- The expression "ordinarily resident" shall have the meaning assigned to it in section 20 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) subject to the modification that reference to "Constituency" therein will be construed as a reference to "Sabha area".

Explanation-II.- A person shall be disqualified for registration in the list of voters of Sabha area if he is disqualified for registration in the Legislative Assembly roll.

5. Meetings and quorum of Sabha.—(1) Every Sabha shall hold four general meetings in each year and every meeting shall be held in the months of January, April, July and October. It shall be the responsibility of the Pradhan to convene such meetings:

Provided that the general meetings of Gram Sabha shall be held in such a manner that all the Gram Panchayats are covered in a District in each of such months. The District Panchayat Officer concerned shall notify Gram Panchayat-wise dates for the Gram Sabha meetings within the District:

Provided further that the Pradhan may, at any time or upon a requisition in writing of not less than one-fifth of the members of the Gram Sabha or if required by the Panchayat Samiti, Zila Parishad or the Deputy Commissioner, shall, within 30 days from the receipt of such requisition, call an extraordinary general meeting:

Provided further that where a Pradhan fails to convene the meetings under this sub-section, the prescribed authority shall convene such meetings within a period of thirty days.

(2) The time and place of all the meetings of the Gram Sabha shall be published in the prescribed manner.

(3) For any general meeting of the Gram Sabha, representation of at least one-fourth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha shall form a quorum and decision will be taken by a majority of members present and voting:

Provided that for a meeting adjourned for want of quorum, representation of at least one-fifth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha shall be required for holding the adjourned meeting.

(4) The meeting of the Gram Sabha shall be presided over by Pradhan or in absence of Pradhan by Up-Pradhan. In the event of both Pradhan and Up-Pradhan being absent, the meeting of Gram Sabha shall be presided over by a member of the Gram Sabha to be elected for the purpose by the majority of members present in the meeting.

5-B. Constitution of Mahila Gram Sabha.—(1) There shall be a Mahila Gram Sabha in every Gram Sabha. The Mahila Gram Sabha shall hold two meetings, first on 8th March and second on first Sunday of September in each year which shall be convened by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat.

(2) The meeting of Mahila Gram Sabha shall be presided over by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat. In the meeting, the issues relating to women and children and issues pertaining to overall development of Gram Panchayat shall be discussed and decision taken in the meeting shall be placed in the meeting of the Gram Sabha for further appropriate action.

7A- Constitution of the Up-Gram Sabha.—(1) There shall be a Up-Gram Sabha for each ward of a Gram Sabha.

(2) All members of the Gram Sabha residing within the area of the ward shall be members of the Up-Gram Sabha.

(3) Every Up-Gram Sabha shall hold two general meetings in each year, and it shall be the responsibility of the member of the Gram Panchayat representing the ward to convene such meetings. The meeting of the Up-Gram Sabha shall be presided over by the member of the Gram Panchayat representing the ward, who shall also record the proceedings.

(4) The time and place of the meetings of the Up-Gram Sabha shall be fixed and notified by the member of the Gram Panchayat representing the ward.

(5) The Up-Gram Sabha shall nominate its members to represent it in the general meeting of the Gram Sabha and these members shall be nominated in a manner so that 50% of the total families residing in the area of the ward get nominated provided that one-half of the nominations shall be of women:

Provided that this nomination shall not debar any member of Up-Gram Sabha from attending the general meetings of the Gram Sabha.

(6) The Up-Gram Sabha may deliberate on issues relating to its area and make recommendations to the Gram Panchayat or Gram Sabha

9. Meetings of Gram Panchayat.—(1) The meeting of the Gram Panchayat shall be public and shall be held at least once a month at the office of the Gram Panchayat and at such time as the Pradhan may fix:

Provided that the Pradhan, when required in writing by a majority of the members to call a meeting, shall do so within three days, failing which the said members shall, with the previous approval of the prescribed authority, be entitled to call a meeting after giving a notice of one week to the Pradhan and the other members.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules framed thereunder one-fourth of the office bearers of the Gram Panchayat shall form a quorum.

(3) The decisions of the Gram Panchayat shall be by majority and when the voting is equal, the Pradhan, in his absence, the Up-Pradhan, shall have an additional or casting vote.

31. Territorial jurisdiction.—(1) Notwithstanding anything contained in the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), every case instituted under this Act shall be instituted before the Pradhan, or in his absence before Up-Pradhan, of the Gram Panchayat of the Sabha area in which the offence was committed.

(2) Notwithstanding anything contained in the Civil Procedure Code, 1908(5 of 1908) , or in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974), every suit instituted under this Act shall be instituted before the Pradhan, or in his absence before Up-Pradhan, of the Gram Panchayat of the Gram Sabha area in which the defendant, or any of the defendants, where they are more than one, ordinarily resides or carries on business at the time of the institution of the suit irrespective of the place where the cause of action arose.

(3) Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954), every proceeding specified under section 48 shall be transferred by the revenue court concerned to the Gram Panchayat within the local area in which the land concerned is situated and the Gram Panchayat shall decide such proceedings in the manner prescribed:

Provided that where land is included in the local area of more than one Gram Panchayats, the revenue court concerned shall transfer the proceedings to the Gram Panchayat within the area of which the greater part of the land is situated.

32. Offences cognizable by Gram Panchayat.—(1) Offences mentioned in Schedule-III or declared by the State Government to be cognizable by a Gram Panchayat, if committed within the jurisdiction of a Gram Panchayat, and abetment of and attempts to commit such offences shall be cognizable by such Gram Panchayat.

(2) Application for maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall be heard and decided by the Gram Panchayat. A Gram Panchayat may grant a maintenance allowance not exceeding five hundred rupees per month on such application without prejudice to any other law for the time being in force in this behalf.

33. Penalties.— A Gram Panchayat may impose a fine not exceeding one hundred rupees but shall not inflict a sentence of imprisonment either substantive or in default of payment of fine.

38. Certain persons not to be tried by the Gram Panchayat.—No Gram Panchayat shall take cognizance of any offence where the accused—

(a) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment of either description for a term of three years or more; or

(b) has been previously fined under section 379 of the Indian Penal Code (45 of 1860) by any Gram Panchayat or has been previously convicted and sentenced under the said section by a Court; or

(c) has been bound over to be of good behaviour under sections 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974); or

(d) has been previously convicted of gambling; or

(e) is Government servant and act complained of is the one done in his official capacity.

39. Compensation to the accused.—If a Gram Panchayat is satisfied after enquiry that a case brought before it was false, frivolous or vexatious, it may order the complainant to pay to the accused such compensation not exceeding two hundred rupees, as it thinks fit.

40. Enquiry in cases forwarded by a Magistrate.—A Magistrate may direct an inquiry to be made under section 202 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), by a Gram Panchayat in any case in which the offence was committed within the territorial jurisdiction of such Gram Panchayat and the Gram Panchayat shall inquire into the case and submit its report to the said Magistrate.

41. Extent of jurisdiction.— (1) The jurisdiction of a Gram Panchayat shall extend to any suit of the following description if its value does not exceed two thousand rupees:—

(a) a suit for money due on contract other than a contract in respect of immovable property;

(b) a suit for the recovery of movable property or for the value there of;

(c) a suit for compensation for wrongfully taking or damaging a moveable property;

(d) a suit for damages caused by cattle trespass; and

(e) a suit under clauses (f) and (i) of sub-section (3) of section 58 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974).

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government or the prescribed authority may, by notification in the Official Gazette, extend the pecuniary jurisdiction of Gram Panchayat to five thousand rupees in respect of any or all the suits of the description mentioned in sub-section (1).

60. Procedure and power to ascertain truth.- (1) The Gram Panchayat shall receive such evidence in a case, suit or proceeding, as the parties may adduce and may call for such further evidence as, in their opinion, may be necessary for the determination of the points in issue.

(2) The Gram Panchayat may make local investigation in the village to which the dispute relates.

(3) It would be the duty of the Gram Panchayat to ascertain the facts of every case, suit or proceeding before it by every lawful means, in its power and thereafter to make such decree, or order, with or without costs as it may deem just and legal.

(4) The Gram Panchayat shall follow the procedure prescribed by or under this Act. The Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), shall not apply to any suit, case or proceedings before a Gram Panchayat except as provided in this Act or as may be prescribed.

64. Failure of the accused to appear.- (1) If the accused fails to appear or cannot be found, the Gram Panchayat shall report the fact to the nearest Magistrate.

(2) The Magistrate shall, on the receipt of a report under sub-section (1), issue a warrant for the arrest of the accused and shall direct by an endorsement on the warrant that if such person

executes a bond with sufficient sureties for his attendance before himself in the manner provided by section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973, he shall be released from custody.

(3) When the accused appears before the Magistrate he shall direct him to execute a bond with or without sureties to appear before the Gram Panchayat, Pradhan or Up-Pradhan or any Panch on such date as he may direct and thereafter to continue to appear before the Gram Panchayat as directed by such person or the Gram Panchayat.

(4) On his failure to execute such bond the Magistrate shall order that the accused be produced in custody before the person mentioned in subsection (3) or the Gram Panchayat on such date not more than fifteen days later as he may direct.

(5) If the accused fails to appear before the Gram Panchayat after executing a bond under sub-section (3), the Gram Panchayat shall report the fact to the Magistrate before whom the bond was executed, and such Magistrate before whom the bond was executed, and such Magistrate shall proceed in accordance with the provisions of Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

76. Conviction by Gram Panchayat not to be a previous conviction.- No conviction by a Gram Panchayat shall be deemed to be a previous conviction for the purpose of section 75 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or section 356 or 360 of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

99. Panchayat Fund.- (1) Every Panchayat shall establish a fund to be called the Panchayat Fund and all sums received by the Panchayat, shall form part of the said Fund.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, all property vested in the Panchayat and the Panchayat fund shall be applied for the purposes of this Act or for other purposes connected with the activities for the development of Panchayat generally or for such other expenses as the State Government may approve on an application of Panchayat or otherwise in the public interest. The Panchayat Fund shall be kept in the nearest Government Treasury or Sub-Treasury or Post Office or Co-operative Bank or Scheduled Bank.

(3) An amount allotted to the Panchayat by the State Government or any other person or local authority for any specified work or purpose shall be utilized exclusively for such work or purpose and in accordance with such instructions as the State Government may either generally or specially issue in this behalf.

(4) The amount from the Gram Panchayat Fund shall be withdrawn, only under the joint signatures of the Secretary or the Panchayat Sahayak of Gram Panchayat and Pradhan, if there is casual vacancy in the office of the Pradhan, under the joint signatures of the Secretary or the Panchayat Sahayak of Gram Panchayat and the Up-Pradhan and, if there are casual vacancies simultaneously in the offices of both the Pradhan and the Up-Pradhan, under the joint signatures of the Secretary or the Panchayat Sahayak of Gram Panchayat and any member of the Gram Panchayat authorised by the Gram Panchayat in this behalf:

Provided that the Panchayat Sahayak shall not withdraw the amount from the Gram Panchayat fund as joint signatory unless authorized by the Director for this purpose:
Provided further that in a particular Gram Panchayat, the Panchayat Sahayak shall withdraw the amount from the Gram Panchayat Fund as joint signatory only in case there is no Panchayat Secretary posted in that Panchayat.

(5) The amount from the Panchayat Samiti Fund shall be withdrawn only under the joint signatures of Secretary, by whatever name called, of the Panchayat Samiti and Chairman or any other member of the Panchayat Samiti authorized by the Panchayat Samiti.

(6) The amount from the Zila Parishad Fund shall be withdrawn only under the joint signatures of the Secretary, by whatever name called, of the Zila Parishad and Chairman or any other member of the Zila Parishad authorized by the Zila Parishad.

115. Recovery of arrears.— Any amount on account of arrears of any tax, water rate, rent, fee or any other money claimable by a Panchayat under this Act besides being recoverable in any other manner provided by this Act, may be recovered by the Collector, as arrear of land revenue:

Provided that the State Government may appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954).

120. Duration of Panchayats.- (1) Every Panchayat shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer unless sooner dissolved under this Act.

(2) An election to constitute a Panchayat shall be completed-

(a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1); and

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Panchayat would have continued is less than six months it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Panchayat for such period.

(3) A Panchayat constituted upon the dissolution of a Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Panchayats, would have continued under sub-section (1) had it not been so dissolved.

122. Disqualifications.- (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, an office bearer, of a Panchayat-

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years;

(b) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction; or

(bb) if he has been found to have been guilty of any corrupt practices under section 180 of this Act; or

(c) if he or any of his family member(s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.— For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s); or

(d) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force; or

(e) if he has been ordered to give security for good behaviour under section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974); or

(f) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds; or

(g) if he is in the employment or service under any Panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government:

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works.

(h) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970); or

(i) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a Panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the Panchayat; or

(j) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a Panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of, the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;

(k) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a Panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the Panchayat;

(l) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955), unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(m) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature; and

(n) if he has made any false declaration as required under this Act of the rules made thereunder:

Provided that section 11 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2005 shall not have the effect on the office bearers of existing Panchayats.

(2) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1), shall after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided.

(i) if such question arises during the process of an election, by an officer as may be authorized in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and

(ii) if such question arises after the election process is over, by the Deputy Commissioner.

133. Appointment of Secretary of Gram Panchayat.- (1) There shall be a Secretary for a Gram Panchayat or a group of Gram Panchayats who shall be appointed by the Director.

(2) It shall be the duty of the Secretary to assist the Pradhan or the Up-Pradhan of the Gram Panchayat, as the case may be, in the discharge of their functions under this Act or any other law for the time being in force.

134. Appointment of Chief Executive Officer and Secretary of Panchayat Samiti and Zila Parishad.— (1) In every Panchayat Samiti, the Block Development Officer, and in every Zila Parishad, the officer appointed by the Government, shall be its Chief Executive Officer. The Panchayat Inspector shall be the Secretary of Panchayat Samiti and the District Panchayat Officer shall be the Secretary of Zila Parishad.

(2) Save as otherwise expressly provided by or under this Act, the Chief Executive Officer shall—

(a) exercise all the powers specifically imposed or conferred upon him by or under this Act or under any other law for the time being in force ;
(b) supervise and control officers and officials of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made by the Government ;

(c) supervise and control the execution of all works;

(d) take necessary measures for the speedy execution of all works and developmental schemes;

(e) co-ordinate between the Panchayat Samiti and Block level offices of the concerned departments and shall ensure timely execution of resolutions of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be;

(f) attend every meeting of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, and the meeting of any other committee thereof and to take part in the discussion, but shall not have the right to move any resolution or to vote; and

(g) exercise such other powers and discharge such other functions as may be entrusted to him by the Panchayat Samiti or Zila Parishad or State Government.

(3) Save as otherwise expressly provided by or under this Act, the Secretary shall—

(a) exercise all the powers specifically imposed or conferred upon him by or under this Act or under any other law for the time being in force;

(b) supervise execution of all works;

(c) have custody of common seal and all papers and documents connected with the proceedings of the meetings of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad and of its Standing Committees and other Committees;

(d) draw and disburse money out of the Panchayat fund;

(e) attend every meeting of the Panchayat Samiti or Zila Parishad and the meeting of any other Committee thereof and to take part in the discussion, but shall not have the right to move any resolution or to vote. If in his opinion any proposal before the Panchayat Samiti or the Zila Parishad is in contravention or is inconsistent with the provisions of this Act, or any other law, rule or order made thereunder, it shall be his duty to bring the same to the notice of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be ;

(f) record proceedings of the meetings of Panchayat Samiti or Zila Parishad and its Committees; and

(g) exercise such other powers and discharge such other functions as may be entrusted to him by the Panchayat Samiti or Zila Parishad from time to time.

(4) Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad shall, on the requisition for this purpose in writing of the officer referred to in sub-section (1), forthwith hand over such moneys or deliver such accounts, records or other property to the said officer or the person authorized by him in the requisition to receive the same.

142. Liability of office bearers etc., for loss, misappropriation.- (1) Every member, office bearer, officer or servant of Panchayat shall be personally liable for loss, waste or misapplication of any money or other property of the Panchayat to which he has been a party or which has been caused by him by misconduct or gross neglect of his duties. The amount required for reimbursing such loss, waste, or misapplication shall be recovered by the prescribed authority: Provided that no recovery shall be made under this section unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) If the person concerned fails to pay the amount, such amount shall be recovered as arrears of land revenue and credited to the funds of the Panchayat concerned.

144. Power to recover records and articles.- (1) Where the prescribed authority is of the opinion that any person has retained unauthorisedly in his custody any record or article belonging to the Panchayat, he may, by a written order require that the record or article be delivered forthwith to the Panchayat, in the presence of such officer as may be appointed by the prescribed authority in this behalf.

(2) If any person fails or refuses to deliver the record or article as directed under sub-section (1), the prescribed authority may report the matter to the Magistrate and on receipt of such report the Magistrate may cause such a person to be apprehended and may send him in a Judicial lock-up for a period not longer than fifteen days.

(3) The Magistrate may

(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(b) for recovering any such record or articles issue a search warrant and exercise all such powers with respect thereto as may lawfully be exercised by a Magistrate under the Provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) No action under sub-sections (1) or (2) or (3) shall be taken unless a reasonable opportunity has been given to the person concerned to show cause why such action should not be taken against him.

(5) A person against whom an action is taken under this section shall be disqualified to be an office bearer of any Panchayat for a period of six years commencing from the initiation of such action.

145. Suspension of office bearers of Panchayats.- (1) The prescribed authority may suspend from office any office bearer-

(a) who remained in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise or against whom charges have been framed in any criminal proceedings under chapter V-A, VI, IX-A, X, XII, sections 302, 303, 304-B, 305, 306, 307, 312 to 318, 336-A, 366-B, 373 to 377 of Chapter XVI, sections 395 to 398, 408, 409, 420, 436, 458 to 460 of Chapter XVII and Chapter XVIII of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) or under sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under sub-section (1) of section 61 of the Punjab Excise Act, 1914 or any law for the time being in force for the prevention of adulteration of food stuff and drugs, suppression of immoral traffic in women and children and protection of civil rights;

(b) who has been served with a notice alongwith a charge sheet to show cause under this Act, for his removal from the office;

(c) where on a complaint made against him the preliminary enquiry *prima-facie* discloses the misappropriation, misutilization or embezzlement of Panchayat funds or he has been found guilty of misconduct in the discharge of his duties:

Provided that any office bearer, if placed under suspension against whom charges have been framed in any criminal proceedings under clause (a), shall remain under suspension till the final decision of the competent court.

(2) Where the inspection or an audit report discloses the misappropriation, misutilization or embezzlement of Panchayat funds by an office bearer of a Panchayat and the prescribed authority is satisfied that continuance in office of such a person will prejudice the enquiry under section 146 and apprehends tampering with record and witnesses, may suspend such a persons and in case he is in possession of any record, money or any property of the Panchayat, order him to handover such records, money or property to the Secretary of the Panchayat.

(2-A) No office bearer shall be placed under suspension under sub-section (1) or (2) unless he has been given an opportunity of being heard.

(3) The order of suspension under sub-section (1) or (2) shall be reported, in the case of office bearers of Zila Parishad, to the Divisional Commissioner concerned, and in the case of office

bearers of Panchayat Samiti and Gram Panchayat, to the Deputy Commissioner concerned, within a period of ten days from the date of suspension, who shall, thereafter within ten days from the date of receipt of such report, order enquiry under section 146 and shall complete enquiry and action within six months and in case enquiry and action is not completed within stipulated period, the suspension order shall be deemed to have been revoked and formal order shall be issued accordingly.

(4) In the event of both the Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat, Chairman or vice-Chairman of Panchayat Samiti or Zila Parishad being suspended under sub-section (1) or sub-section (2) the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad shall elect an office bearer qualified to hold the office of Pradhan or Chairman, as the case may be, such person shall perform all the duties and exercise all the powers of Pradhan or Chairman, as the case may be, during the period for which suspension continues.

(5) A person who has been suspended under sub-section (1) or sub-section (2) shall also forthwith stand suspended from the office of member or office bearer of any other Panchayat of which he is a member or office bearer. Such person shall also be disqualified for being elected, under the Act during his suspension.

151. Penalty for acquisition by a member, office bearer or servant of interest in contracts.- If a member or office bearer or servant of Panchayat knowingly acquires, directly or indirectly any personal share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of a Panchayat without the sanction of or permission of the prescribed authority, he shall be deemed to have committed an offence under section 168 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

152. Wrongful restraint of officers etc.- Any person who prevents any officer or servant of a Panchayat or any person to whom such officer or servant has, lawfully delegated his powers of entering on or into any place building or land from exercising his lawful powers of entering thereon or therein, shall be deemed to have committed an offence under section 341 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

155. Penalty for not giving information or giving false information.-Any person required by this Act or the rules made thereunder or notice or other proceedings issued thereunder to furnish any information, omits to furnish such information or knowingly furnishing wrong information shall, on conviction, be punished with a fine which may extend to one thousand rupees.

158-R. Liquor not to be sold, given or distributed on Polling day.- (1) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed

at a hotel, catering house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area. (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both. (3) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed off in such manner as may be prescribed.

160. State Election Commission.- (1) There shall be a State Election Commission constituted by the Governor for superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of all elections to the Panchayat bodies in the State under this Act and the rules made thereunder. The Commission shall consist of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.

(2) The salary and allowances payable to, tenure of office and conditions of service of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may by rule determine:

Provided that the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in the like manner and on the like grounds as a judge of the High Court and the conditions of service of the State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Governor shall, when so requested by the State Election Commissioner make available to him such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on him under this Act.

160-A. Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.- (1) If it appears to the State Government that in connection with an election to the Panchayat bodies,-

(a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken; or

(b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election;

the State Government may by order in writing requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

(4) In this section-

(a) "premises" means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof; and

(b) "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

161. Officers authorised to hear election petitions.- The election petitions under this Act shall be heard-

(i) in the case of Gram Panchayats and Panchayat Samitis, by the Sub-Divisional Officer; and
(ii) in the case of members of Zila Parishads, by the Deputy Commissioner; and
(iii) in the case of Chairman and Vice-Chairman of Zila Parishad, by the Commissioner.

167. Procedure before the authorised officer.- (1) Subject to the provisions of this Act and of any rules made thereunder every election petition shall be decided by the authorised officer as expeditiously as possible and ordinarily within a period of six months from the date of its presentation under section 163 in accordance with the procedure applicable under the code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to the trial of suits:

Provided that the authorised officer shall have the discretion to refuse, for reasons to be recorded in writing, to examine any witness or witnesses if he is of the opinion that their evidence is not material for the decision of the petition or that the party tendering such witness or witnesses in doing so on frivolous grounds or with a view to delay the proceedings.

(2) The provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) shall, subject to the provisions of this Act, be deemed to apply in all respects to the trial of an election petition.

169. Power of the authorized officer.- The authorised officer shall have the powers which are vested in a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) when trying a suit in respect of the following matters:-

(a) discovery and inspections;

(b) enforcing the attendance of witnesses and requiring the deposit of their expenses;

(c) compelling the production of documents;

(d) examining witnesses on oath;

(e) granting adjournments;

(f) reception of evidence taken on affidavit; and

(g) issuing commissions for the examination of witnesses;

and may summon and examine suo-motu any person whose evidence appears to him to be material and shall be deemed to be a Court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.— For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the authorised officer shall be the limits of the State of Himachal Pradesh.

172. Answering of incriminating questions and certificate of indemnity.- (1) No witness shall be excused from answering any question to any matter relevant to a matter in issue in the trial of an election petition upon the ground that the answer to such question may criminate or

may tend to criminate him, or that it may expose or may tend to expose him to any penalty or forfeiture:

Provided that-

(a) a witness who answers truly all questions which he is required to answer shall be entitled to receive a certificate of indemnity from the authorised officer; and

(b) an answer given by a witness to a question put by or before the authorised officer shall not, except in the case of any criminal proceedings for perjury in respect of the evidence, be admissible in evidence against him in any civil or criminal proceeding.

(2) When a certificate of indemnity has been granted to any witness, it may be pleaded by him in any Court and shall be a full and complete defence to or upon any charge under chapter IX-A of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), arising out of the matter to which such certificate relates, but it shall not be deemed to relieve him from any disqualification, in connection with an election, imposed by this act or any other law.

186. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the matters which under any provisions of this Act, are required to be prescribed or to be provided for by rules.

(3) All rules shall be subject to the condition of previous publication.

(4) All rules shall be laid on the Table of Legislative Assembly.

(5) In making any rule, the State Government may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees and in the case of continuing breach with a further fine which may extend to five rupees for every day during which the breach continues after the first conviction.

190. Members and servants of Panchayat to be public servants.- Every office bearer of a Panchayat and every officer or servant thereof shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

SCHEDULE-III
(See section 32)

OFFENCES COGNIZABLE BY A GRAM PANCHAYAT

No. 1	Name of Act/Code 2	Offence 3	Section 4
1	**Indian Penal Code**	Committing affray	160
2	-do-	Absconding to avoid service of summons or other proceedings.	172
3	-do-	Obstructing service or publicising of summons issued by lawful authority.	173
4	-do-	Refusing oath or affirmation when duly required by a public servant.	178
5	-do-	Refusing to answer a public servant authorised to question.	179
6	-do-	Refusing to sign statement	180
7	-do-	Intentional insult or interruption to a public servant sitting in judicial proceeding.	228
8	-do-	Offences relating to weights and measures mentioned in Chapter XIII.	264 to 267
9	-do-	Negligently doing an act dangerous to human life.	269
10	-do-	Defilling the water or public spring or reservoir.	277
11	-do-	Danger of obstruction in public way or line of navigation.	283
12	-do-	Dealing with fire or any combustible matter as to endanger human life etc.	285
13	-do-	Dealing with any explosive substance as to endanger human life etc.	286

No.	Name of Act/Code	Offence	Section
14	-do-	Omitting to guard against probable danger to human life from a building over which a person has right to pull down or repair.	288
15	-do-	Negligent conduct with respect to any animal	289
16	-do-	Committing a public nuisance	290
17	-do-	Obscene acts and songs	294
18	-do-	Voluntarily causing hurt	323
19	-do-	Voluntarily causing hurt on provocation	334
20	-do-	Wrongfully restraining any person	341
21	-do-	Assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation.	352
22	-do-	Theft where the value of the property stolen does not exceed Rs.250/-; provided that no Gram Panchayat shall take cognizance of any such complaint if the accused- (i) has been previously convicted of an offence under Chapters XII or XVII of the Indian Penal Code punishable with imprisonment of either description for a term of three years or upwards; or (ii) has previously been fined for theft or receiving or retaining stolen property by any Panchayat; or (iii) is a registered habitual offender under any law for the time being in force; or (iv) has been bound over to be of good behaviour in proceedings instituted under section 109 or 110 of Criminal Prodcedure Code, 1973(V of 1974); or (v) has had an order or restriction passed against him under the Himachal Pradesh Restriction of Habitual Offenders Act, 1973 (9 of 1974) ; or	379

No.	Name of Act/Code	Offence	Section
		(vi) has been previously convicted for gambling.	
23	-do-	Dishonest misappropriation	403*
24	-do-	Criminal breach of trust	406*
25	-do-	Dishonestly receiving or retaining stolen property.	411*
26	-do-	Cheating	417*
27	-do-	Mischief when the damage or loss caused does not exceed fifty rupees in value	426
28	-do-	Mischief and thereby causing damage to property or loss of Rs. 50 or exceeding Rs.50 in value.	427
29	-do-	Maiming of animal of the value of Rs. 10	482
30	-do-	Mischief by killing or maiming a cattle etc. of any value or any animal of the value of Rs. 50.	429
31	-do-	Criminal trespass	447
32	-do-	Insult intended to provoke breach of the peace	504
33	-do-	Punishment for criminal intimidation etc	506
34	-do-	Uttering any word or making any gesture intended to insult the modesty of a woman	509
35	-do-	Misconduct in public by a drunken person	510
36	The Vaccination Act, 1880 (Act XIII) of 1880)	Punishment of offences covered by clauses (a), (b) and (d) of section 22	22 except clause (c)
37	The Cattle Trespass Act,1871	Forcibly opposing the seizure of cattle or re-securing the same	24

No.	Name of Act/Code	Offence	Section
38	-do-	Causing damage to land or crops or public roads by pigs	26
39	The Himachal Pradesh Juveniles (Prevention of Smoking) Act,1952	Penalty for selling tobacco to children	3
40	-do-	Seizure of tobacco from juveniles in a public place	4
41	The Public Gambling Act, 1867) (II of 1867).	Penalty for owning or keeping or having charge of gambling house	3
42	-do-	Penalty for being found in a gambling house	4
43	-do-	Penalty on persons arrested for giving false names and address	7
44	-do-	Offences under sections 22,158 and 187 under this Act.	

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला––896–जुड/2025–30–8–2025––175 प्रतियां।